फाईनल डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1.	तीतुरिया पुत्र कुन्दे	सभी जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा
2.	रामपति बेबा खूबीराम	
3.	रामेश्वर पुत्र खूबीराम –मृतक	तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ
3/1.	सुनीता बेबा रामेश्वर	
3/2.	लोकेश पुत्री रामेश्वर	जिला करौली राजस्थान
3/3.	पूजा पुत्री रामेश्वर	
3/4.	सुमरन पुत्र रामेश्वर	
3/5.	वर्षा पुत्री रामेश्वर	जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा तहसील सूरौठ
3/6.	जीतेश पुत्र रामेश्वर	नाबालिग जरिये संरक्षक माता सुनीता पत्नि रामेश्वर
4.	राजेश पुत्र खूबीराम	जाति जाटव निवासीर मुण्डा का पुरा तहसील हिण्डौन
5.	महेन्द्र पुत्र खूबीराम	हाल तहसील सूरौठ जिला करौली राज0 –– वादीगण

बनाम

1.	रत्तीराम	पिसरान उदयचन्द जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा
2.	महेश	
3.	राजमल	तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान
4.	शिवचरण	

5. मुस. गुलबाई बेबा उदयचन्द जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली

6. शकुन्तला पुत्री उदयचन्द पत्नि बनैसिंह जाति जाटव निवासी बेरखेडा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली

7.	ओमवती पत्नि भरतलाल	जाति जाटव निवासी बेरखेडा तहसील हिण्डौन
8.	द्रोपती पत्नि बच्चूसिंह	हाल तहसील सूरौठ जिला करौली

9.	दुलीचन्द	पिसरान शिब्बू जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा
10.	रामचरण	तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली
11.	रूपचन्द	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

12. सुगरबाई पत्नि रमेश जाति जाटव निवासी सीतापुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली

13. सम्पति देवी पत्नि स्व0 किरोडी जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली

14. हरदयाल | पिसरान किरोडी जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा

15. रघुवीर | तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली

16. सनता पत्नि हरज्ञान पुत्री किरोडी जाति जाटव निवासी मेरहिया का पुरा, निठार के पास तहसील वैर जिला भरतपुर

17. भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन तामील जरिये जरिये शाखा प्रबन्धक, भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन

18. स्टेट ऑफ राजस्थान तामील जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ (लैण्ड होल्डर)

19. सब रजिस्ट्रार तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

——— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, तकास्मा एवं हुक्मईम्तनाई दवामी (स्थायी निषेधाज्ञा)

मुकदमा नं0 253/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री पी.एल. गोयल एडवोकेट मिन जानिव मुदई रूबरू .... मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी, तकास्मा एवं हुक्मईम्तनाई दवामी (स्थायी निषेधाज्ञा) में तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिक्री दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 863 रकबा 0.24 है0, 864 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम मुण्डा का पुरा तहसील सूरौठ का वादी सं0 1 तीतुरिया पुत्र कुन्दे जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा तहसील सूरौठ को हिस्सा 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी सं0 2 रामपति बेबा खूबीराम जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा तहसील सूरौठ को हिस्सा 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी सं0 4 राजेश पुत्र खूबीराम जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा तहसील सूरौठ को हिस्सा 1/8 भाग का

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी सं0 5 महेन्द्र पुत्र खूबीराम जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा तहसील सूरौठ को हिस्सा 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी सं0 3/1 लगायत 3/6 सुनीता बेबा रामेश्वर, लोकेश, पूजा, वर्षा पुत्रियॉ रामेश्वर, सुमरन, जीतेश पिसरान रामेश्वर जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा तहसील सूरौठ को बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मृतक रामेश्वर के दो वारिसान नाबालिग वर्षा पुत्री रामेश्वर, जीतेश पुत्र रामेश्वर नाबालिग जरिये संरक्षक माता सुनीता पत्नि रामेश्वर रहेगी। पूर्व के समस्त इन्द्राजात हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 863 रकबा 0.24 है0, 864 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम मुण्डा का पुरा तहसील सूरौठ में वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत, मदाखलत नहीं करें, वादीगण को उक्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें, वादीगण को बेदखल नहीं करें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे, जिससे कि वादीगण के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.12.2025 को यह डिक्री जारी की गई।

23/12/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 253/2025 तारीख रजूः– 10.11.2025

जीसीएमएस नं. 2025/611

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1.	तीतुरिया पुत्र कुन्दे	सभी जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा
2.	रामपति बेबा खूबीराम	
3.	रामेश्वर पुत्र खूबीराम –मृतक	तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ
3/1.	सुनीता बेबा रामेश्वर	
3/2.	लोकेश पुत्री रामेश्वर	जिला करौली राजस्थान
3/3.	पूजा पुत्री रामेश्वर	
3/4.	सुमरन पुत्र रामेश्वर	
3/5.	वर्षा पुत्री रामेश्वर	जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा तहसील सूरौठ
3/6.	जीतेश पुत्र रामेश्वर	नाबालिग जरिये संरक्षक माता सुनीता पत्नि रामेश्वर
4.	राजेश पुत्र खूबीराम	जाति जाटव निवासीर मुण्डा का पुरा तहसील हिण्डौन
5.	महेन्द्र पुत्र खूबीराम	हाल तहसील सूरौठ जिला करौली राज0 —— वादीगण

बनाम

1.	रत्तीराम	पिसरान उदयचन्द जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा
2.	महेश	
3.	राजमल	तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान
4.	शिवचरण	

5. मुस. गुलबाई बेबा उदयचन्द जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली
6. शकुन्तला पुत्री उदयचन्द पत्नि बनैसिंह जाति जाटव निवासी बेरखेडा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली

7.	ओमवती पत्नि भरतलाल	जाति जाटव निवासी बेरखेडा तहसील हिण्डौन
8.	द्रोपती पत्नि बच्चूसिंह	हाल तहसील सूरौठ जिला करौली

9.	दुलीचन्द	पिसरान शिब्बू जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा
10.	रामचरण	तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली
11.	रूपचन्द	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

12. सुगरबाई पत्नि रमेश जाति जाटव निवासी सीतापुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली

13. सम्पति देवी पत्नि स्व0 किरोडी जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली

14. हरदयाल | पिसरान किरोडी जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा
15. रघुवीर | तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली

16. सनता पत्नि हरज्ञान पुत्री किरोडी जाति जाटव निवासी मेरहिया का पुरा, निठार के पास तहसील वैर जिला भरतपुर

17. भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन तामील जरिये जरिये शाखा प्रबन्धक, भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन

18. स्टेट ऑफ राजस्थान तामील जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ (लैण्ड होल्डर)

19. सब रजिस्ट्रार तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

——— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी,तकास्मा,

हुक्मईम्तनाई दवामी (स्थायी निषेधाज्ञा)

उपस्थित – 1. श्री पी.एल.गोयल, श्री एच.एस.गुर्जर,श्री कृष्णमोहन शर्मा, श्री अरविन्दसिंह मीना एडवोकेट वादीगण

निर्णय

दिनांक :– 23.12.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण का दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, तकास्मा, हुक्मईम्तनाई दवामी (स्थायी निषेधाज्ञा) दिनांक 06.09.2011 को प्राथमिक डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 863 रकबा 0.24 है0, 864 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम मुण्डापुरा तहसील हिण्डौन में वादी सं0 1 हि0 1/2 तथा वादी सं0 2 ता 5 हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं, शेष इन्द्राजात पूर्वानुसार रहेगा। इस आराजी पर जो रहन दर्ज है वह जिस खातेदार द्वारा लिया गया है, उसके शेष खातेदारी भूमि पर रहेगा, 500/–रूपया फीस पर भू–अभिलेख निरीक्षक वृत शेरपुर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्त भूमि का मौके पर पक्षकारान की मौजूदगी में खसरा नम्बर 863, 864 का बंटवारा कर बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में न्यायालय में पेश करें। पर्चा डिकी जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उक्त निर्णय दिनांक 06.09.2011 की अपील रत्तीराम वगैराह द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के यहॉ अपील सं0 112/2011 उनवानी रत्तीराम वगैराह बनाम तीतुरिया वगैराह अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री मुकदमा नं0 50/2007 दिनांक 06.09.2011 न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन पेश की, जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 07.07.2014 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट की अपील में किसी प्रकार का बल नजर नहीं आने के कारण अपील खारिज की गई है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन का निर्णय यथावत रखा गया है।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 07.07.2014 की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील सं0 5545/2014 जिला करौली उनवानी रत्तीराम वगैराह बनाम तीतुरिया वगैराह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्धान राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर दिनांक 07.07.2014 अपील संख्या 112/2011 पेश की। जो दिनांक 09.09.2025 को उक्त अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा के मुकदमा नं0 50/2007 दिनांक 06.09.2011 को पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री आदिनांक तक यथावत है।

मुताविक निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.09.2011 के आधार पर तहसीलदार सूरौठ ने बंटवारा स्कीम तैयार कर पत्रांक भू.अ./1381 दिनांक 30.06.2025 से उक्त उनवानी प्रकरण में बंटवारा स्कीम मय ट्रेस न्यायालय में पेश की जा चुकी है।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की बंटवारा स्कीम पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने मुताविक बंटवारा स्कीम वादीगण का दावा फाईनल डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 863 रकबा 0.24 है0, 864 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम मुण्डा का पुरा तहसील सूरौठ का वादी सं01 तीतुरिया पुत्र कुन्दे जाति जाटव हि0 1/2, रामपति वेवा खूबीराम हि0 1/8, राजेश पुत्र खूबीराम हि0 1/8, महेन्द्र पुत्र खूबीराम हि0 1/8, रामेश्वर पुत्र खूबीराम मृतक के वारिसान तीन पुत्री लोकेश, पूजा, वर्षा, दो पुत्र सुमरन, जीतेश, पत्नि सुनीता को हिस्सा बराबर हि0 1/8 जाति जाटव सा0देह खातेदार के हिस्से में आया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम मुताविक प्राथमिक डिक्री के आधार पर तैयार किया जाना सही प्रतीत होता है तथा मुताविक बंटवारा स्कीम वादी अपने दावा को फाईनल डिक्री कराना चाहते हैं। जिसमें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होना प्रतीत होता है। यदि प्रतिवादीगण को उक्त बंटवारा से कोई आपत्ति होती तो वे न्यायालय में या बंटवारा स्कीम तैयार करते समय तहसीलदार सूरौठ के समक्ष उपस्थित होते। इसलिए वादीगण का दावा मुताविक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी, तकास्मा एवं हुक्मईम्तनाई दवामी (स्थायी निषेधाज्ञा) तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 863 रकबा 0.24 है0, 864 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम मुण्डा का पुरा तहसील सूरौठ का वादी सं0 1 तीतुरिया पुत्र कुन्दे जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा तहसील सूरौठ को हिस्सा 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी सं0 2 रामपति बेबा खूबीराम जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा तहसील सूरौठ को हिस्सा 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी सं0 4 राजेश पुत्र खूबीराम जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा तहसील सूरौठ को हिस्सा 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी सं0 5 महेन्द्र पुत्र खूबीराम जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा तहसील सूरौठ को हिस्सा 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी सं0 3/1 लगायत 3/6 सुनीता बेबा रामेश्वर, लोकेश, पूजा, वर्षा पुत्रियॉ रामेश्वर, सुमरन, जीतेश पिसरान रामेश्वर जाति जाटव निवासी मुण्डा का पुरा तहसील सूरौठ को बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मृतक रामेश्वर के दो वारिसान नाबालिग वर्षा पुत्री रामेश्वर, जीतेश पुत्र रामेश्वर नाबालिग जरिये संरक्षक माता सुनीता पत्नि रामेश्वर रहेगी। पूर्व के समस्त इन्द्राजात हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 863 रकबा 0.24 है0, 864 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम मुण्डा का पुरा तहसील सूरौठ में वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत, मदाखलत नहीं करें, वादीगण को उक्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें, वादीगण को बेदखल नहीं करें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे, जिससे कि वादीगण के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार सूरौठ को

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 23/12/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)